



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22012021-224637
CG-DL-E-22012021-224637

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 294]
No. 294]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 22, 2021/माघ 2, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 22, 2021/MAGHA 2, 1942

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2021

का.आ. 325(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 29) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा 22 जनवरी, 2021 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:-

क्र.सं.	धाराएं
1.	धारा 2;
2.	धारा 11;
3.	धारा 18 का खंड (ग);
4.	धारा 22 का खंड (ii);
5.	धारा 25;
6.	धारा 27;
7.	धारा 53;
8.	धारा 55;
9.	धारा 58 से धारा 60 (दोनों समावेशित);
10.	धारा 62; और

11.	धारा 64 और धारा 65।
-----	---------------------

[फा. सं. 1/3/2020-सीएल-1]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd January, 2021

S.O. 325(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Companies (Amendment) Act, 2020 (29 of 2020), the Central Government hereby appoints the 22nd day of January, 2021 as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force, namely:-

Sl. No.	Sections
1.	Section 2;
2.	Section 11;
3.	Clause (c) of section 18;
4.	Clause (ii) of section 22;
5.	Section 25;
6.	Section 27;
7.	Section 53;
8.	Section 55;
9.	Section 58 to section 60 (both inclusive);
10.	Section 62; and
11.	Section 64 and section 65.

[F. No. 1 /3 /2020-CL.1]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.